समक्ष माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र. क्र. /निगरानी/16

R 597-III/16

1. प्रहलाद सिहं आ0 श्री बनेसिहं
   पंच वार्ड क0 12 ग्रामं पचायंत पटेलपुरा
   तहसील पचौर जिला राजगढ म0प्र0
2. शारदाबाई पत्नी श्री अन्तरसिहं
   पंच वार्ड क0 08 ग्राम पचायंत पटेलपुरा
   तहसील पचौर जिला राजगढ म0प्र0
3. देवेन्द्र आ0 श्री रामसिहं
   पंच वार्ड क0 10 ग्राम पचायंत पटेलपुरा
   तहसील पचौर जिला राजगढ म0प्र0
4. मोडसिहं आ0 श्री शंकरलाल
   पंच वार्ड क0 06 ग्राम पचायंत पटेलपुरा
   तहसील पचौर जिला राजगढ म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा हल्का पटवारी
   ग्राम पटेलपुर तहसील पचौर जिला राजगढ
2. मार्गीलाल आ0 किशन लोहार
   निवासी ग्राम पटेल पुरा तहसील पचौर
   जिला राजगढ म0प्र0 न ..... अनावेदकगण

म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदकगण विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 309/अपील/15–15 में पारित आदेश दिनांक 09/12/15 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेलपुरा तहसील पचौर जिला राजगढ स्थित भूमि खसरा क0 5 रकवा 0.063 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में चरोखर निस्तार म0प्र0 शासन के नाम पर दर्ज है। अनावेदक क0 2 द्वारा उक्त खसरे के 0.005 हेक्टयर भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करते हुए आवागमन के रास्ते को रोके जाने के कारण अनावेदक क0 1 हल्का पटवारी द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष अतिक्रमण के सबन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । अनावेदक क0 2 द्वारा दी गयी स्वीकारोक्ति के उपरान्त अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनावेदक क0 2 के विरूद्व अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण क0 249/अ–48/13–14 में पारित आदेश दिनांक 19/09/14 के द्वारा अनावेदक क0 2 के विरूद्व रू0 1000/–

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 597–तीन/2016 जिला–राजगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाकों आदि के हस्ताक्षर
21.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 (3) व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रेश किया तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उभयपक्ष के मध्य समझौता हो गया है इस हेतु उभयपक्ष के पक्षकारों द्वारा आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर किये तथा आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। 2–उभयपक्ष के पक्षकार एवं आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर के तर्को पर विचारोपरांत उभयपक्ष के मध्य प्रकरण में समझौता होने के कारण प्रकरण इस न्यायालय से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। सदस्य	